2024रुब्लभ्ङ रु42714

|थ्

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

दांडिक पुनरीक्षण संख्या 66 / 2024
आदेश सुरक्षित : 13.08.2024
आदेश पारित : 04.11.2024

- अद्वित अग्रवाल पुत्र सुशील अग्रवाल उम्र लगभग 20 वर्ष निवासी फ्रेंड्स कॉलोनी, रायगढ़, जिला : रायगढ़, छत्तीसगढ़

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी पुलिस स्टे ान, चक्रधर नगर, रायगढ़, जिला : रायगढ़, छत्तीसगढ़
2. विधि से संघर्शरत किशोर – नाबालिग (अ) (हालांकि, यह उल्लेख करना उचित है कि नाबालिग (अ) की वर्तमान आयु लगभग 19 वर्ष है।)
3. विधि से संघर्शरत किशोर – नाबालिग (ब) (हालांकि, यह उल्लेख करना उचित है कि नाबालिग (ब) की वर्तमान आयु लगभग 18 वर्ष और 6 महीने है।)

... प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के लिए	: श्री हरि अग्रवाल, अधिवक्ता
राज्य के लिए	: सुश्री सुभा श्रीवास्तव, पैनल अधिवक्ता
प्रत्यर्थी संख्या 2 एवं 3 के लिए	: श्री अमित शर्मा, अधिवक्ता

माननीय श्री न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार व्यास
(सीएवी आदेश)

1. आवेदक ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संक्षेप में 2015 का अधिनियम) की धारा 102 के तहत वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया है, जिसमें विद्वान बालक न्यायालय/ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पोक्सो अधिनियम) रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा आपराधिक अपील संख्या 74 / 2023 में पारित आदेश दिनांक 23.08.2023 को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पुलिस स्टेशन, चक्रधर नगर, रायगढ़ (छ.ग.) में दर्ज अपराध संख्या 454 / 2021 से उत्पन्न किशोर मामला संख्या 144 / 2021 में किशोर न्याय बोर्ड (संक्षेप में जेजेबी) रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा पारित आदे ा दिनांक 11.07.2023 (अनुलग्नक पी / 2) को अपास्त कर दिया है, और जेजेबी को विधि का उल्लंघन करने वाला बालक प्रत्यर्थी नं. 2, के प्रकरण में आगे बढ़ने के लिए निर्दे ात किया है, एवं जेजेबी के समक्ष दिनांक 15.09.2023 को उपस्थित होने का भी निर्दे ा दिया है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि शिकायतकर्ता/पीड़ित ने पुलिस स्टेशन– चक्रधर नगर, रायगढ़ में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 354–ए, 397, 506/34 और 25/27 आयुध अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपराध क्रमांक 454/2021 के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। अभियोजन का मामला यह है कि शिकायतकर्ता ने एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि 07.08.2021 को शाम लगभग 05:40 बजे जब वह एक्टिवा में अपने पिता के कार्यालय से लौट रहा था और वह अपने दोस्त को मंदिर ले गया था और लौटते समय लगभग 07:15 बजे चार व्यक्ति उसके सामने आए और वाहन को रोक दिया और जान से मारने की धमकी देने लगे, उनके पास चाकू, कुल्हाड़ी और रॉड थी, उन्होंने उसके दोस्त की घड़ी, चेन, अंगूठियां, पर्स, मोबाइल फोन, और 1 लाख रुपये लूट लिए और उसके दोस्त की शील भंग करने के इरादे से अश्लील शब्दों का भी इस्तेमाल किया जिसके कारण उसे रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ी। जांच के बाद प्रत्यर्थी क्रमांक 2 का कथन लिया गया और पुलिस ने आवेदक को गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। 06.08. 2021 को ि ानाख्ती परेड आयोजित की गई और जघन्य अपराध होने से अन्वेशण के बाद जेजेबी के समक्ष अभियोग पत्र पेश किया गया।

3. किशोर न्याय बोर्ड ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 15 के अनुसार प्रारंभिक मूल्यांकन तैयार किया है। जेजेबी ने 11.07. 2023 के आदेश के द्वारा अपने निष्कर्ष दर्ज किए हैं कि परिस्थितियों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है और तदनुसार उसने आपराधिक मामले को बालक न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया है, जिसके पास 2015 के अधिनियम की धारा 18(3) के अनुसार ऐसे अपराध पर मुकदमा चलाने का अधिकार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. इस आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी संख्या 2 के पिता ने 2015 के अधिनियम की धारा 101(2) (अनुलग्नक पी/8) के अंतर्गत एक अपील दायर की, जिसमें मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि विद्वान जेजेबी ने प्रारंभिक आकलन पर आदेश पारित करते समय इस बात पर विचार नहीं किया कि आरोपी की आयु 18 वर्ष से कम है और जेजेबी के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था, ऐसे में मामले को बालक न्यायालय में स्थानांतरित करने का कोई कारण नहीं था। यह भी तर्क दिया गया है कि बिंदु संख्या 3 से 5 का फैसला करते समय विद्वान जेजेबी ने मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट को ध्यान में रखा है, लेकिन उक्त रिपोर्ट किसी मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ द्वारा नहीं दी गई है। यह भी तर्क दिया गया है कि यदि रिपोर्ट की बारीकी से जांच की जाए, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि अपराध की परिस्थितियों और परिणाम को समझने की क्षमता के संबंध में कोई विशिष्ट निष्कर्ष नहीं दिया गया है, इसलिए जेजेबी के लिए 2015 के अधिनियम की धारा 18(3) के अंतर्गत मामले को बालक न्यायालय में स्थानांतरित करने का कोई औचित्य नहीं है और अपील को स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

5. इस आदेश से व्यथित होकर आवेदक ने अधिनियम 2015 की धारा 102 के तहत वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण को प्रस्तुत किया है, जिसमें मुख्य रूप से तर्क दिया गया है कि किशोर की उचित चिकित्सा/मनोवैज्ञानिक जांच के बारे में विद्वान बालक न्यायालय द्वारा अभिलिखित निश्कर्श विकृत है कि किशोरों से पांच चिकित्सा पेशेवरों की एक टीम द्वारा बातचीत/जांच की गई थी और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि

किशोरों में कथित अपराध करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता थी और उनमें अपराध के परिणाम को समझने की क्षमता थी। यह भी तर्क दिया गया है कि भले ही यह मान लिया जाए कि किशोर न्याय बोर्ड द्वारा मनोवैज्ञानिक की उचित सहायता नहीं लिये जाने का तथ्य सच और सही है, ऐसी स्थिति में विद्वान बालक न्यायालय को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 101 (2) के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए था और अपील पर पहुंचने/निर्णय लेने से पहले अनुभवी मनोवैज्ञानिक की सहायता लेनी चाहिए थी। यह भी कहा गया है कि विद्वान बालक न्यायालय के निश्कर्शो में वि ोशज्ञों के पैनल के अनुचित गठन के बारे में कहा गया है, तो न्यायालय को कानूनी रूप से गठित वि ोशज्ञों के पैनल की सहायता लेकर कानून से संघर्शरत बच्चे के मामले की फिर से जांच करने के लिए बोर्ड का पुनर्गठन करने के लिए मामले को वापस भेज देना चाहिए था। यह भी कहा गया है कि विद्वान निचली अपीलीय अदालत द्वारा निश्कर्श निकाला गया है कि कि ोर पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की कोई आव यकता नहीं है, यह रिकॉर्ड पर उपलब्ध किसी भी सामग्री पर आधारित नहीं है, इस प्रकार, यह मामले के रिकॉर्ड के विपरीत और विकृत है, इस प्रकार इस न्यायालय को पुनरीक्षण अधिकारिता के प्रयोग में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है और जेजेबी के दिनांक 11.07.2023 के आदेश को बरकरार रखते हुए पुनरीक्षण को स्वीकार करने की प्रार्थना की गई। अपने निवेदन के समर्थन में उन्होंने **कानून से संघर्शरत बालक बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य 2024 एस.सी.सी. ऑनलाईन 796** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. राज्य ने अपना उत्तर दाखिल किया है, जिसमें यह कहा गया है कि बालक न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कानूनी, न्यायोचित है और आवेदक की आरे से इस न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करने योग्य कोई अवैधता नहीं द ाई गई है, इसलिए आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

7. प्रत्यर्थी संख्या 2 एवं 3 के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि बालक न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कानूनी और न्यायोचित है तथा इसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वे पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने की प्रार्थना करते है।

8. मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिलेख का अवलोकन किया है।

9. उभय पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए निवदेनों के आधार पर, इस न्यायालय द्वारा निर्धारण हेतु यह बिन्दु उभर कर आया है कि क्या विद्वान अपीलीय न्यायालय ने इस आधार पर सम्पूर्ण आदेश को निरस्त करने में अवैधता की है कि जेजेबी द्वारा पारित प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश में अनियमितताएं परिलक्षित हैं जो इतनी घातक हैं कि इन्हें जेजेबी को 2015 के अधिनियम के प्रावधानों और इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार कार्यवाही करने के बाद नए सिरे से प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश पारित करने का निर्देश देकर ठीक नहीं किया जा सकता है।

10. इस बिंदु को समझने के लिए इस न्यायालय के लिए 2015 के अधिनियम की धारा 14, 15, 18, 19 और 101 के प्रासंगिक प्रावधानों और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और

संरक्षण) नियम, 2016 के नियम 10(ए), 11, 13, 19 के प्रासंगिक प्रावधानों को उद्धृत करना आवश्यक है :

"14. विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के बारे में बोर्ड द्वारा जांच

(1) जहां विधि का उल्लंघन करने वाला अभिकथित बालक, बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है, वहां बोर्ड इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जांच करेगा और ऐसे बालक के संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह इस अधिनियम की धारा 17 और धारा 18 के अधीन ठीक समझे।

(2) इस धारा के अधीन कोई जांच, बोर्ड के समक्ष बालक को पहली बार पेश किए जाने की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर, जब तक कि बोर्ड द्वारा, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और ऐसे विस्तारण के लिए लिखित में कारण लेखबद्ध करने के पश्चात् दो और मास की अधिकतम अवधि के लिए उक्त अवधि विस्तारित नहीं की गई हो, पूरी की जाएगी।

(3) बोर्ड द्वारा, धारा 15 के अधीन जघन्य अपराधों की दशा में प्रारंभिक निर्धारण, बोर्ड के समक्ष बालक को पहली बार पेश किए जाने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) यदि बोर्ड द्वारा, छोटे अपराधों के लिए उपधारा (2) के अधीन जांच, विस्तारित अवधि के पश्चात् भी अनिर्णायक रहती है तो कार्यवाहियां समाप्त हो जाएंगी:

परंतु घोर या जघन्य अपराधों के लिए यदि बोर्ड, जांच पूरी करने के लिए समय और बढ़ाने की अपेक्षा करता है तो, यथास्थिति, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उसे प्रदान करेगा।

(5) बोर्ड, ऋजु और त्वरित जांच सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थातः—

(क) जांच प्रारंभ करते समय बोर्ड अपना यह समाधान करेगा कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक से पुलिस द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसके अंतर्गत वकील या परिवीक्षा अधिकारी भी है, कोई दुर्व्यवहार न किया गया हो और वह ऐसे दुर्व्यवहार के मामले में सुधारात्मक उपाय करेगा :

(ख) इस अधिनियम के अधीन सभी मामलों में, कार्यवाहियां यथासंभव साधारण रीति से की जाएंगी और यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जाएगी कि ऐसे बालक को, जिसके विरुद्ध कार्यवाहियां आरंभ की गई है, कार्यवाहियों के दौरान बाल हितैषी वातावरण उपलब्ध करवाया जाए :

(ग) बोर्ड के समक्ष लाए गए प्रत्येक बालक को जांच में सुनवाई का और भाग लेने के अवसर प्रदान किया जाएगा :

(घ) छोटे अपराधों वाले मामलों का निपटारा बोर्ड द्वारा, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड द्वारा संक्षिप्त कार्यवाहियों के माध्यम से किया जाएगा य

(ङ) बोर्ड द्वारा घोर अपराधों की जांच का निपटारा, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन समन मामलों का विचारण की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए किया जाएगा य

(च) घोर अपराधों की जांच :–

(प) अपराध किए जाने की तारीख को सोलह वर्ष से कम आयु के बालक के संबंध में जघन्य अपराधों की जांच बोर्ड द्वारा खंड (ङ) के अधीन निपटाई जाएगी य

(पप) अपराध किए जाने की तारीख को सोलह वर्ष से अधिक आयु के बालक के संबंध में इस धारा के अधीन विहित रीति में की जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों में प्रारंभिक निर्धारणः–

(1) किसी जघन्य अपराध की दशा में, जो अभिकथित रूप से किसी ऐसे बालक द्वारा किया गया है, जिसने सोलह वर्ष की आयु पूरी कर ली है या जो सोलह वर्श से अधिक आयु का है, बोर्ड ऐसा अपराध करने के लिए उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों को समझने की योग्यता और वे परिस्थितियां, जिनमें अभिकथित रूप से उसने अपराध किया था, के बारे में प्रारंभिक निर्धारण करेगा और धारा 18 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार आदेश पारित कर सकेगा :

परन्तु ऐसे निर्धारण के लिए बोर्ड, अनुभवी मनोवैज्ञानिकों या मनोसामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकेगा।

स्पष्टीकरण *– इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभिक निर्धारण कोई विचारण नहीं है बल्कि उस बालक के अभिकथित अपराध के किए जाने और उसके परिणामों को समझने के सामर्थ्य को निर्धारित करना है।*

(2) जहां प्रारंभिक निर्धारण करने पर बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि मामले का निपटारा बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए तो बोर्ड, यथाशक्य, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन समन मामले के विचारण से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा :

परंतु बोर्ड का मामले का निपटारा करने का आदेश धारा 101 की उपधारा (2) के अधीन अपीलनीय होगा :

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन निर्धारण, धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

18. विधि का उल्लंघन करते पाए गए बालक के बारे में निदेश *:–*
(1) जहां बोर्ड का जांच करने पर यह समाधान हो जाता है कि बालक ने, आयु को विचार में लाए बिना कोई छोटा अपराध या कोई घोर अपराध किया है य या सोलह वर्ष से कम आयु के बालक ने कोई जघन्य अपराध किया है या सोलह वर्ष में अधिक आयु के बालक ने कोई जघन्य अपराध किया है और बोर्ड ने, धारा 15 के अधीन प्रारंभिक निर्धारण करने के पश्चात् मामले का निपटारा कर दिया है तो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी और अपराध की प्रकृति, पर्यवेक्षण या मध्यक्षेप की विशिष्ट आवश्यकता ऐसी परिस्थितियों, जो सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट में बताई गई हैं, और बालक के पूर्व आचरण के आधार पर बोर्ड यदि ऐसा करना ठीक समझता है तो वह :–

(क) बालक को, समुचित जांच के पश्चात् और ऐसे बालक, तथा उसके माता–पिता या संरक्षक को परामर्श देने के पश्चात् उपदेश या भर्त्सना के पश्चात् घर जाने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ***य***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ख) बालक को सामूहिक परामर्श और ऐसे ही क्रियाकलापों में भाग लेने का निदेश दे सकेगा ***य***

(ग) बालक को किसी संगठन या संस्थान अथवा बोर्ड द्वारा पहचान किए गए विनिर्दिष्ट व्यक्ति, व्यक्तियों या व्यक्ति समूह के पर्यवेक्षणाधीन सामुदायिक सेवा करने का आदेश दे सकेगा ***य***

(घ) बालक या बालक के माता–पिता या संरक्षण को जुर्माने का संदाय करने का आदेश दे सकेगा ***य***

(ङ) बालक को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने और माता–पिता, संरक्षक या योग्य व्यक्ति की देखरेख में रखने का निदेश, ऐसे माता–पिता, संरक्षक या योग्य व्यक्ति द्वारा बालक के सदाचार और उसकी भलाई के लिए बोर्ड की अपेक्षानुसार प्रतिभू सहित या रहित तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए बंधपत्र निष्पादित किए जाने पर, दे सकेगा ***य***

(च) बालक के सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने और बालक के सदाचार और भलाई को सुनिश्चित करने के लिए किसी उचित सुविधा तंत्र की देखरेख और पर्यवेक्षण में रखने का निदेश तीन वर्ष से अनधिक की कालवधि के लिए दे सकेगा ***य***

(छ) बालक को तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, विशेष गृह में ठहरने की कालवधि के दौरान सुधारात्मक सेवाएं देने के लिए, जिनके अंतर्गत शिक्षा, कौशल विकास, परामर्श देना व्यवहार उपांतरण चिकित्सा और मनोचिकित्सकीय सहायता भी है, विशेष गृह में भेजने का निदेश दे सकेगा ***य***

परंतु यदि बालक का आचरण और व्यवहार ऐसा हो गया है जो बालक के हित में या विशेष गृह में रहने वाले अन्य बालकों के हित में नहीं होगा तो बोर्ड, ऐसे बालक को सुरक्षित स्थान पर भेज सकेगा।

(2) यदि उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (छ) के अधीन कोई आदेश पारित किया जाता है तो बोर्ड –

(प) विद्यालय में हाजिर होने य या

(पप) किसी व्यावसायिक प्रि क्षण केंद्र में हाजिर होने या

(पपप) किसी चिकित्सा केंद्र में हाजिर होने या

(पअ) किसी विनिर्दिष्ट स्थान पर बारंबार जाने या हाजिर होने से बालक को प्रतिशिद्ध करने य या

(अ) व्यसनमुक्ति कार्यक्रम में भाग लेने, का अतिरिक्त आदेश पारित कर सकेगा।

(3) जहां बोर्ड, धारा 15 के अधीन प्रारंभिक निर्धारण करने के पश्चात् यह आदेश पारित करता है कि उक्त बालक का, वयस्क के रूप में विचारण करने की आवश्यकता है वहां बोर्ड मामले के विचारण को ऐसे अपराधों के विचारण की अधिकारिता वाले बालक न्यायालय को अंतरित करने का आदेश दे सकेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. बालक न्यायालय की शक्तियां :–

(1) धारा 15 के अधीन बोर्ड से प्रारंभिक निर्धारण प्राप्त होने के पश्चात् बालक न्यायालय यह विनिश्चय कर सकेगा कि य (प) बालक का दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के (1974 का 2) उपबंधों के अनुसार वयस्क के रूप में विचारण करने की आवश्यकता है और विचारण के पश्चात् इस धारा और धारा 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बालक की विशेष आवश्यकताओं, ऋजु विचारण के सिद्धांतों पर विचार करते हुए तथा बालक हितैषी वातावरण बनाए रखते हुए समुचित आदेश पारित कर सकेगा य (पप) वयस्क के रूप में बालक के विचारण की कोई आवश्यकता नहीं है और बोर्ड के रूप में जांच की जा सकती है तथा धारा 18 के उपबंधों के अनुसार समुचित आदेश पारित कर सकेगा।

(2) बालक न्यायालय यह सुनि चत करेगा कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक से संबंधित अंतिम आदेश में बालक के पुनर्वासन के लिए व्यक्तिगत देखभाल योजना को सम्मिलित किया जाएगा जिनके अंतर्गत परिवीक्षा अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई या किसी सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई भी है।

(3) बालक न्यायालय सुनिश्चित करेगा कि ऐसे बालक को, जो विधि का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, इक्कीस वर्ष की आयु का होने तक

सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए और तत्पश्चात् उक्त व्यक्ति को जेल में स्थानान्तरित कर दिया जाएगा य परंतु बालक को, सुरक्षित स्थान पर उसके ठहरने की कालावधि के दौरान, सुधारात्मक सेवाएं जिनके अंतर्गत शैक्षणिक सेवाएं, कौशल विकास, परामर्श देने, व्यवहार उपांतरण चिकित्सा जैसी वैकल्पिक चिकित्सा और मनचिकित्सकीय सहायता भी है, उपलब्ध करवाई जाएंगी।

(4) बालक न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि सुरक्षित स्थान पर बालक की प्रगति का मूल्यांकन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बालक से वहां किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया है, यथा अपेक्षित परिवीक्षा अधिकारी या जिला बालक संरक्षण इकाई या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा प्रत्येक वर्ष एक आवधिक अनुवर्ती रिपोर्ट दी जाए।

(5) उपधारा (4) के अधीन दी गई रिपोर्ट अभिलेख और अनुवर्तन के लिए जैसा अपेक्षित हो, बालक न्यायालय को भेजी जाएगी।

101. अपीले :—

(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन समिति या बोर्ड द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसा आदेश किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, पोषण, देखरेख और प्रवर्तकता प च देखरेख संबंधी समिति के ऐसे विनि चयों के सिवाय, जिनके संबंध में अपील जिला मजिस्ट्रेट को होगी, बालक न्यायालय में अपील कर सकेगा परंतु यथास्थिति, बालक न्यायालय या जिला मजिस्ट्रेट, तीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को पर्याप्त कारणों से समय पर अपील करने से निवारित किया गया था और ऐसी अपील का विनिश्चय तीस दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(2) अधिनियम की धारा 15 के अधीन किसी जघन्य अपराध का प्रारंभिक निर्धारण करने के पश्चात्, बोर्ड द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील से ान न्यायालय को होगी और वह न्यायालय अपील का विनि चय करते समय अनुभवी मनोचिकित्सकों और चिकित्सा वि ोशज्ञों की, उनसे भिन्न जिनकी सहायता बोर्ड द्वारा उक्त धारा के अधीन आदेश पारित करने में अभिप्राप्त की जा चुकी है, सहायता ले सकेगा।

(3) ऐसे किसी बालक के संबंध में, जिसके बारे में यह अभिकथन है कि उसने ऐसा कोई अपराध किया है, जो ऐसे किसी बालक द्वारा, जिसने सोलह वर्ष की आयु पूरी कर ली है या जो सोलह वर्ष से अधिक आयु का है, किए गए जघन्य अपराध से भिन्न है, बोर्ड द्वारा किए गए दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होगी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(ख) समिति द्वारा, इस निष्कर्श के संबंध में कि वह व्यक्ति ऐसा बालक नहीं है जिसे देखरेख और संरक्षा की आवश्यकता हो, किए गए किसी आदे ा, के विरुद्ध अपील नहीं होगी।

(4) इस धारा के अधीन अपील में पारित सेशन न्यायालय के किसी आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील नहीं होगी।

(5) बालक न्यायालय के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल कर सकेगा।

(6) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किए किसी दत्तकग्रहण के आदे ा द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किए ऐसे आदेश की तारीख में तीन दिन की अवधि के भीतर प्रभागीय आयुक्त के समक्ष कोई अपील फाइल कर सकेगा।

(7) उपधारा (6) के अधीन फाइल की गई प्रत्येक अपील यथासंभव भीघ्रता से विनिश्चित की जाएगी और अपील फाइल किए जाने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर उसे निपटाए जाने का प्रयास किया जाएगा य

परन्तु जहां कोई प्रभागीय आयुक्त नहीं है, वहां यथास्थिति, राज्य सरकार या संघराज्यक्षेत्र प्रशासन, अधिसूचना द्वारा, अपील का विनि चय करने के लिए प्रभागीय आयुक्त की पंक्ति के समतुल्य किसी अधिकारी को स क्त कर सकेगी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10 (क). बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों का प्राथमिक निर्धारण *:–*

(1) बोर्ड, प्रथम दृष्टया यह अवधारित करेगा कि क्या बालक की आयु सोलह वर्ष या उसमे अधिक है, यदि नहीं तो बोर्ड, अधिनियम की धारा 14 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(2) जघन्य अपराधों के प्राथमिक निर्धारण के प्रयोजनार्थ बोर्ड, मनोवैज्ञानिकों या मनो–सामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है, जिन्हें कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के साथ कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो। जिला बाल संरक्षण इकाई ऐसे विशेषज्ञों का पैनल उपलब्ध करा सकता है, जिनकी सहायता बोर्ड ले सकता हो या बोर्ड उनसे अलग से भी संपर्क कर सकता हो।

(3) प्राथमिक निर्धारण करते समय बालक के निर्दोष होने की उपधारणा की जाएगी, यदि अन्यथा सिद्ध न हुआ हो।

(4) जहां बोर्ड, अधिनियम की धारा 15 के अधीन प्राथमिक निर्धारण के बाद यह आदेश पारित करता है कि उक्त बालक पर विचारण वयस्क के रूप में किए जाने की आवश्यकता है तो बोर्ड ऐसे आदेश के कारण समनुदेशित करेगा और आदेश की प्रति उस बालक को तुरंत दी जाएगी।

11. जांच की समाप्ति :–

(1) बालक द्वारा अभिकथित रूप से किए गए जघन्य अपराधों के मामलों में जहां अधिनियम की धारा 15 के अधीन प्राथमिक निर्धारण के बाद बोर्ड मामले का निपटान करने का निर्णय लेता है वहां बोर्ड, अधिनियम की धारा 18 में यथा विनिर्दिष्ट निपटान आदेशों में से कोई एक आदेश पारित कर सकेगा।

*(2) कोई भी आदेश पारित करने के पूर्व, बोर्ड अपने आदेशानुसार परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा **प्रारूप 6** में तैयार की गई सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त करेगा और उस रिपोर्ट के निष्कर्शों पर विचार करेगा।*

*(3) बोर्ड द्वारा पारित सभी निपटान आदेशों में, संबंधित विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के लिए अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत देखरेख योजना को शामिल किया जाएगा। यह व्यक्तिगत देखरेख योजना उस बालक और यदि संभव हो तो उसके परिवार से विचार–विमर्श के आधार पर परिवीक्षा अधिकारी अथवा बाल कल्याण अधिकारी अथवा किसी मान्याताप्राप्त स्वैच्छिक संगठन द्वारा **प्रारूप 7** में तैयार की जाएगी।*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) जिन मामलों में बोर्ड को यह विश्वास हो जाए कि किसी बालक को विशेष गृह में रखना न तो स्वयं उसके हित में और न ही अन्य बालकों के हित में है, उन मामलों में, बोर्ड उस बालक को सुरक्षित स्थान पर इस प्रकार रखे जाने का आदेश पारित कर सकता है, जिस प्रकार बोर्ड को उपयुक्त प्रतीत हो।

(5) जिन मामलों में बोर्ड बालक को सलाह या भर्त्सना या सामूहिक परामर्श में बालक की भागीदारी के पश्चात निर्मुक्त करता है या उसे सामुदायिक सेवा करने का आदेश देता है, उन मामलों में बोर्ड जिला बाल संरक्षण इकाई को ऐसे परामर्श एवं सामुदायिक सेवा की व्यवस्था कराने का निर्देश भी जारी करेगा।

*(6) जिन मामलों में बोर्ड विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को परिवीक्षा पर छोड़ते हुए उसे उसके माता–पिता या संरक्षक या किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में रखे जाने का निर्देश देता है, उन मामलों में जिस व्यक्ति की देखरेख में उस बालक को छोड़ा जाता है, उस व्यक्ति को **प्रारूप 8** में यह लिखित वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा कि अधिकतम तीन वर्षों तक वह बालक का अच्छा व्यवहार एवं कल्याण सुनिश्चित करेगा।*

*(7) बोर्ड विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को **प्रारूप 9** में मुचलके पर छोड़ने का निर्णय ले सकेगा।*

(8) यदि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को उपयुक्त सुविधा या वि ेश गृह में रखा जाता है तो बोर्ड इस बात का ध्यान रखेगा कि वह उपयुक्त सुविधा या विशेष गृह उस बालक के माता—पिता या संरक्षक के निवासस्थान के ज्यादा से ज्यादा निकट हो, सिवाए उन मामलों के जिनमें ऐसा करना बालक के सर्वोत्तम हित में न हो।

(9) जिस मामले में बोर्ड विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को परिवीक्षा पर निर्मुक्त करता है और उसे उसके माता—पिता या संरक्षक या किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में रखता है या जहां बालक को परिवीक्षा पर निर्मुक्त करता है और उसे उपयुक्त सुविधा की देखरेख में रखता है, उस मामले में बोर्ड यह आदेश भी दे सकेगा कि उस बालक को परिवीक्षा अधिकारी की निगरानी में रहना होगा, जो **प्रारूप 10** में आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और ऐसी निगरानी की अवधि अधिकतम तीन वर्ष होगी।

(10) जहां बोर्ड को ऐसा प्रतीत होता है कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक ने परिवीक्षा की शर्तों का अनुपालन नहीं किया है, उस मामले में बोर्ड, संबंधित बालक को अपने समक्ष प्रस्तुत किए जाने का आदेश दे सकेगा और निगरानी की शेष अवधि के लिए उस बालक को विशेष गृह में या सुरक्षित स्थान पर भेज सकेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) किसी भी मामले में, किसी बाल विशेष गृह में या सुरक्षित स्थान पर रखे जाने की अवधि अधिनियम की धारा 18 की उप—धारा (1) के खंड (घ) में उपबंधित अधिकतम अवधि से ज्यादा नहीं होगी।

13. बालक न्यायालय और निगरानी प्राधिकरणों के संबंध में प्रक्रिया : (1) बोर्ड से प्रारंभिक निर्धारण प्राप्त हो जाने पर, बाल न्यायालय यह निर्णय ले सकेगा कि क्या वयस्क अथवा बालक के रूप में बालक के विचारण की आवश्यकता है और उपयुक्त आदेश पारित कर सकेगा।

(2) जिस मामले में बालक की आयु घोषित करने वाले बोर्ड के आदे ा के विरुद्ध अधिनियम की धारा 101 की उप—धारा (1) के अधीन अपील दायर की गई हो, उस मामले में बाल न्यायालय पहले उक्त अपील पर निर्णय लेगा।

(3) जिस मामले में बोर्ड द्वारा किए प्राथमिक निर्धारण के निश्कर्शों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 101 की उप—धारा (2) के अधीन अपील दायर की गई हो, उस मामले में बाल न्यायालय पहले उक्त अपील पर निर्णय लेगा।

(4) जहां अधिनियम की धारा 101 की उप—धारा (2) के अधीन अपील का निपटान इस निष्कर्ष के साथ हुआ हो कि वयस्क के रूप में बालक का विचारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है. वहां बाल न्यायालय,

अधिनियम की धारा 19 और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार मामले का निपटान करेगा।

(5) जहां अधिनियम की धारा 101 की उप–धारा (2) के अधीन अपील का निपटान इस निष्कर्ष के साथ हुआ हो कि वयस्क के रूप में बालक का विचारण किया जाना चाहिए, वहां बाल न्यायालय, बोर्ड से फाइल मंगवाएगा और इस अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार मामने का निपटान करेगा।

(6) बाल न्यायालय किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के समय इस बात के कारण अभिलिखित करेगा कि बालक का विचारण वयस्क के रूप में या बालक के रूप में किया जाना है।

(7) जहां बाल न्यायालय यह निर्णय लेता है कि वयस्क के रूप में बालक का विचारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है और मामले का निर्णय स्वयं करेगा, वहां रू

(प) बाल न्यायालय जांच कार्य इस प्रकार कर सकेगा, जैसे कि न्यायालय बोर्ड के रूप में कार्य कर रहा हो तथा अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार मामले का निपटान कर सकेगा –––

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. जांच की प्रक्रिया :–

(1) समिति उन परिस्थितियों की जांच करेगी, जिनमें बालक को प्रस्तुत किया गया है, और तदनुसार ऐसे बालक को देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक घोषित करेगी।

(2) यदि आवश्यक हुआ तो अधिनियम की धारा 94 के अनुसार आगे जांच कार्य लंबित रहने के समय समिति अपनी अधिकारिता का अभिनिश्चय करने के उद्देश्य से प्रथम दृष्टया बालक की आयु अवधारित करेगी।

(3) जब बालक को समिति के समक्ष लाया जाता है, तब समिति ***प्ररूप 21*** *में आदेश के माध्यम से अधिनियम की धारा 36 की उप–धारा (2) के अधीन सामाजिक अन्वेषण करने के लिए वह मामला किसी सामाजिक कार्यकर्ता या मामला कार्यकर्ता या बालकल्याण अधिकारी या किसी मान्यताप्राप्त गैर–सरकारी संगठन को सौंपेगी।*

(4) समिति उपयुक्त पुनर्वास योजना सहित व्यक्तिगत देखरेख योजना प्ररूप 7 में तैयार करने का निर्दे । संबंधित व्यक्ति या संगठन को देगी। संस्थागत देखरेख में रहने वाले प्रत्येक बालक के लिए तैयार की जाने वाली यह व्यक्तिगत देखरेख योजना मामले के पूर्ववृत्त, बालक की परिस्थितियों और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर उसके पूर्ण पुनर्वास और पुनर्समेकन के उद्देश्य से तैयार की जाएगी।

(5) जांच कार्य से नैसर्गिक न्याय के आधारभूत सिद्धांतों की पूर्ति होगी और बालक एवं उसके माता–पिता या संरक्षक की जानकारी–प्राप्त भागीदारी सुनिश्चित होगी। बालक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और उसकी आयु और परिपक्वता के स्तर के अनुरूप उसके विचारों को भी ध्यान में रखा जाएगा। समिति के आदेश लिखित रूप में होंगे और उनमें कारणों का उल्लेख किया जाएगा।

(6) समिति बालक से संवेदनशील और बालक के अनुकूल तरीके से सवाल–जवाब करेगी और किसी भी प्रतिकूल या आरोप लगाने वाले शब्दों या बालक की गरिमा या आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करेगी।

*(7) समिति **प्रारूप 19** के अनुसार बालक को उसके सर्वोत्तम हित में निर्मुक्त या उसका प्रत्यावर्तन करने से पहले दस्तावेजों और सत्यापन रिपोर्ट के माध्यम से अपनी संतुष्टि करेगी।*

*(8) सामाजिक कार्यकर्ता या मामले के कार्यकर्ता या संस्था या किसी गैर–सरकारी संगठन के बाल कल्याण अधिकारी द्वारा किया जाने वाला सामाजिक अन्वेषण **प्रारूप 22** के अनुसार होगा और इसमें बालक की पारिवारिक स्थिति के मूल्यांकन का विस्तृत विवरण होना चाहिए तथा लिखित रूप में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्या बालक के परिवार को उसका प्रत्यावर्तन उस बालक के सर्वोत्तम हित में होगा।*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) बालक को निर्मुक्त करने या उसका प्रत्यावर्तन करने से पहले समिति उस बालक और उसके माता–पिता अथवा संरक्षक को पराम दाता के पास भेज सकेगी।

(10) समिति अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए बालकों के समुचित अभिलेख रखेगी, जिनमें चिकित्सीय रिपोर्ट (टें), सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट, कोई अन्य रिपोर्ट (टें), और बालक के विषय में समिति द्वारा पारित आदेश शामिल होंगे।

(11) जांच कार्य के लंबित रहने के सभी मामलों में, समिति बालक को पेशी की अगली तारीख की जानकारी पिछली तारीख के बाद अधिकतम 15 दिनों की अवधि में देगी और ऐसी प्रत्येक तारीख की जांच कार्य कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता या मामले के कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी से आवधिक स्थिति रिपोर्ट भी मांगेगी।

(12) जांच कार्य के लंबित रहने के सभी मामलों में, समिति बालक को प्रस्तुत किए जाने की पहली तारीख से शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि सहित बालक के पुनर्वास के उपाय करने के निर्दे ा उस व्यक्ति या संस्था को देगी, जिसके पास बालक को रखा गया है।

(13) जब समिति की बैठक जारी न हो तब समिति के किसी एक सदस्य द्वारा लिए गए किसी निर्णय का अनुसमर्थन, समिति की अगली बैठक में किया जाएगा।

(14) किसी मामले के अंतिम निपटान के समय, अध्यक्ष सहित कम से कम तीन सदस्य उपस्थित होंगे और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्य क्ष द्वारा इस रूप में कार्य करने के लिए अभिहित सदस्य उपस्थित होगा।

(15) समिति एक निकाय के रूप में तालमेलपूर्ण ढंग से कार्य करेगी और इसलिए अपनी कोई उप–समिति गठित नहीं करेगी।

(16) जहां किसी बालक को किसी अन्य जिले या राज्य या दे ा को प्रत्यावर्तित किया जाना हो, वहां समिति जिला बाल संरक्षण इकाई को यथापेक्षित आव यक अनुमति प्राप्त करने के निर्देश देगी, जैसे कि अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों और विदेश मंत्रालय में संपर्क करना किसी अन्य जिले या राज्य या देश की समकक्ष समिति या किसी अन्य स्वैच्छिक संगठन से संपर्क करना, जहां बालक को भेजा जाना है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

*(17) मामले के अंतिम निपटान के समय, समिति निपटान आदेश में यथास्थिति सामाजिक कार्यकर्ता या मामले के कार्यकर्ता या संस्था या किसी गैर–सरकारी संगठन के बालकल्याण अधिकारी द्वारा **प्ररूप 7** में तैयार की गई ऐसे बालक की व्यक्तिगत देखरेख योजना को शामिल करेगी।*

(18) मामले का अंतिम निपटान करते समय, समिति मामले के निपटान की तारीख से अधिकतम एक मास की अवधि में बालक के अनुवर्तन की तारीख देगी और उसके बाद छह मास की अवधि तक मास में एक बार तथा उसके बाद कम से कम एक वर्ष या ऐसी अवधि तक, जिसे समिति उपयुक्त समझे, हर तीन मास में एक बार अनुवर्तन की तारीख देगी।

(19) जहां बालक किसी अन्य जिले का हो, वहां समिति आयु संबंधी घ ोषणा और मामले की फाइल तथा व्यक्तिगत देखरेख योजना संबंधित जिले की समिति को भेजेगी, जो कि व्यक्तिगत देखरेख योजना का अनुवर्तन इस प्रकार करेगी जैसे कि निपटान आदेश उसी ने पारित किया हो।

(20) व्यक्तिगत देखरेख योजना की निगरानी निपटान आदेश पारित करने वाली समिति द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्रारूप 14 में जारी किए गए पुनर्वास कार्ड द्वारा की जाएगी और यह कार्ड व्यक्तिगत देखरेख योजना के कार्यान्वयन का अनुवर्तन करने वाली समिति के अभिलेख में शामिल होगा। ऐसा पुनर्वास कार्ड पुनर्वास–सह–स्थापन अधिकारी द्वारा रखा जाएगा।

(21) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक के संबंध में समिति द्वारा पारित सभी आदेश बालक की गोपनीयता और निजता का विधिवत ध्यान रखते हुए अभिहित पोर्टल पर अपलोड भी किए जाएंगे।

*(22) जब कोई माता–पिता या संरक्षक अधिनियम की धारा 35 की उप–ध ारा (1) के अधीन किसी बालक को अभ्यर्पित करना चाहे, तब ऐसे माता–पिता या संरक्षक **प्रारूप 23** में समिति को आवेदन प्रस्तुत करेंगे। जिन मामले में ऐसे माता–पिता या संरक्षक निरक्षरता या अन्य किसी कारण से आवेदन प्रस्तुत न कर पाएं, उस मामले में समिति विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले विधिक सहायता परामर्शी के माध्यम से उन्हें आवेदन प्रस्तुत करने में सहायता करेगी। अभ्यर्पण विलेख **प्रारूप 24** के अनुसार निष्पादित किया जाएगा।*

(23) समिति अधिनियम की धारा 35 की उप–धारा 3 के अधीन जांच शीघ्रतापूर्वक कराएगी और अभ्यर्पण की तारीख से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद अभ्यर्पित बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करेगी।

(24) अनाथ या परित्यक्त बालक के मामले में समिति बालक के माता–पिता या संरक्षकों को खोजने के सभी संभव प्रयास करेगी और ऐसी जांच पूरी होने पर, यदि यह सिद्ध हो जाता है कि बालक या तो ऐसा अनाथ या परित्यक्त है, जिसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है तो समिति उस बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त

घोषित करेगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

*(25) विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण सहित किसी बाल देखरेख संस्था को प्राप्त हुए परित्यक्त या अनाथ बालक के मामले में, ऐसा बालक चौबीस घंटे की अवधि में (यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर) **प्रारूप 17** में रिपोर्ट के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और इस रिपोर्ट में बालक का विवरण और फोटो तथा उन परिस्थितियों का ब्यौरा दर्शाया जाएगा, जिन परिस्थितियों में वह बालक प्राप्त हुआ और बाल देखरेख संस्था या विशेषीकृत दत्तकग्रहण एजेंसी द्वारा उसी अवधि में ऐसी रिपोर्ट की प्रति स्थानीय पुलिस को भी प्रस्तुत की जाएगी।*

*(26) समिति अधिनियम की धारा 36 के अधीन जांच के लंबित रहने के समय बालक के लिए अल्पावधिक स्थापन एवं अंतरिम देखरेख आदे ा **प्रारूप 18** में जारी करेगी।*

(27) समिति अनाथ या परित्यक्त बालक के ब्यौरे को अपलोड कराते हुए, यह अभिनिश्चय करने के लिए अभिहित पोर्टल का प्रयोग करेगी कि क्या परित्यक्त या अनाथ बालक कोई गुमशुदा बालक है।

(28) समिति जोखिम कारकों पर विचार करने के बाद और बालक के सर्वोत्तम हित में उसके जन्मदाता माता–पिता या विधिक संरक्षक (को)

का पता लगाने के प्रयोजनार्थ बालक प्राप्त होने के समय से बहत्तर घंटे की अवधि में अनाथ या परित्यक्त बालक का ब्यौरा और फोटो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाने का निर्देश दे सकेगी।

(29) समिति अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जांच करने के बाद परित्यक्त या अनाथ बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करने वाला ***आदे I प्रारूप 25*** *में जारी करेगी और यह जानकारी प्राधिकरण को भेजेगी।*

(30) जहां बालक के माता–पिता का पता लगा लिया जाता है, वहां बालक के प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया इन नियमों के नियम 82 के अनुसार होगी।"

11. नियम, 2016 के नियम 10 (ए) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जघन्य अपराध के मामले में प्रारंभिक मूल्यांकन करते समय बोर्ड मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ या मनोवैज्ञानिक कार्यकर्ता या अन्य विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है, जिन्हें बच्चों के साथ काम करने का अनुभव हो और जिसके लिए विशेषज्ञों का एक पैनल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। नियम 13 में प्रावधान है कि बालक न्यायालय जांच इस तरह कर सकता है जैसे कि वह एक बोर्ड के रूप में काम कर रहा हो और अधिनियमों और नियमों के अनुसार मामले का निपटारा करता हो। नियम, 2016 के नियम 19 में जांच करने की प्रक्रिया का प्रावधान है जो प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांत को संतुष्ट करते हुए की जाएगी और समिति बच्चे से संवेदनशील और मैत्रीपूर्ण तरीके से पूछताछ करेगी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. यह पता लगाने के लिए कि क्या प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश 2015 के अधिनियम के तहत निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के अनुसार पारित किया गया है, इस न्यायालय ने जेजेबी के आलोच्य आदेश का अध्ययन किया है जिसमें यह स्पष्ट है कि जेजेबी ने मुद्दा संख्या 3 पर फैसला करते समय कि इस तरह के अपराध को करने के लिए संघर्शरत बच्चे की मानसिक और शारीरिक क्षमता क्या थी, अपराध करने की वास्तविक शारीरिक क्षमता का आकलन करने का ध्यान नहीं रखा है, यह भी निर्धारित नहीं किया है कि अपराध करने की मानसिक क्षमता क्या थी। जेजेबी को संघर्षरत बच्चे के जन्म से लेकर वर्तमान तिथि तक के पिछले इतिहास, बच्चे द्वारा सामना की जाने वाली समस्या, विकार और विकासात्मक विकलांगता जिसने उसे अपराध करने के लिए मजबूर किया है, को ध्यान में रखना चाहिए था, ये कथित अपराध करने की मानसिक क्षमता का आकलन करने के लिए प्रासंगिक कारक हैं, दुर्भाग्य से इस संबंध में कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

13. इसी तरह, मुद्दा संख्या 4 पर निर्णय लेते समय आरोपित अपराध के परिणाम को समझने के लिए कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे की मानसिक स्थिति क्या है, केवल किशोर के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर विचार किया गया है और उसके बाद मनोवैज्ञानिक के 4 सदस्यीय पैनल की रिपोर्ट पर ध्यान दिया है और अपने निष्कर्ष को दर्ज किया है कि कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा अपराध के परिणाम को समझने में मानसिक रूप से सक्षम था। जेजेबी ने यह दर्ज करने पर ध्यान नहीं दिया है कि

निष्कर्ष किस आधार पर दर्ज किया गया है और वास्तव में इस बात पर कोई विचार–विमर्श नहीं किया गया है कि बच्चे से उस अपराध के परिणाम के बारे में कोई प्रश्न पूछा गया था जिसका उस पर आरोप लगाया गया है। मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट यह नहीं द ार्ती है कि उन्होने कानून के साथ संघर्शरत बच्चे द्वारा अपराध के परिणाम को समझने के तथ्य के संबंध में ऐसे निष्कर्षों को अभिलिखित करने के लिए किस सामग्री पर विचार किया है, 2016 के नियम 10 (ए) के अनुसार विशेषज्ञों को वैज्ञानिक तरीके से किए गए आकलन के आधार पर अपनी राय देनी चाहिए अन्यथा रिपोर्ट किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कोई सहायता नहीं करती है। रिपोर्ट में बच्चे की सहानुभूति की भावना और यह समझ शामिल होनी चाहिए कि उसके कार्यो से परिवार, दोस्तों और अन्य लोगों के साथ उसके संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नियमों को तोड़ने के रूप में कानूनी परिणाम और सजा और कानून के साथ संघर्श में आने सहित खुद के लिए गंभीर नकारात्मक परिणाम, ये तथ्य रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं हैं।

14. इसी तरह, विद्वान जेजेबी ने मुद्दा संख्या 5 पर निर्णय लेते समय कि किन परिस्थितियों में संघर्शरत बच्चे ने अपराध किया है, के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया है, उदाहरण के लिए, किस तरह के परिवेश, सामाजिक संपर्क और पारिवारिक पृश्ठभूमि ने संघर्शरत बच्चे को ऐसा अपराध करने के लिए उकसाया है। रिपोर्ट इस पहलू पर चुप है, जो 2015 के अधिनियम के उद्देश्य को विफल करता है, क्योंकि 2015 के अधिनियम का उद्देश्य बच्चों के सर्वोत्तम हित में मामले के न्यायानिर्णयन और निपटान में बाल–अनुकूल दृष्टिकोण अपनाकर उचित देखभाल, सुरक्षा, विकास, उपचार, सामाजिक पुनः एकीकरण प्रदान करना और प्रदान की गई प्रक्रिया के माध्यम से पुनर्वास करना है। निमहंस बेंगलुरु जो मनोविज्ञान के अनुसंधान और अध्ययन में शामिल एक प्रमुख संस्थान है, और मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका विज्ञान और विशिष्ट क्षेत्रों के लिए एक विश्व प्रसिद्ध केंद्र है, ने कानून के साथ उल्लंघन करते बच्चों के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर मार्गदर्शन नोट तैयार किया है और उन्हीं दिशानिर्देशों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **बरुन चंद्र ठाकुर बनाम मास्टर भोलू और अन्य** के मामले में विचार किया है, जिसकी रिपोर्ट **2022 ै ब्ब ऑनलाइन 870** में पैराग्राफ 75, 77 और 79 में दी गई है, जो इस प्रकार है :–

> *"75. यह ध्यान देने योग्य है कि बाल मनोविज्ञान विकास मनोविज्ञान की एक विशेष शाखा है, इसकी उत्पत्ति इस आधार पर हुई है कि बच्चों और वयस्कों की विचार प्रक्रिया अलग–अलग होती है। किशोर की "मानसिक क्षमता और अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता" का व्यक्तिगत मूल्यांकन अधिनियम, 2015 की धारा 15 द्वारा अनिवार्य प्रारंभिक मूल्यांकन के सबसे महत्वपूर्ण निर्धारकों में से एक है। प्रारंभिक मूल्यांकन की रिपोर्ट 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे के मामले को बालक न्यायालय में स्थानांतरित करने के प्रासंगिक प्रश्न का निर्णय करती है। कानून के साथ संघर्शरत बच्चे की 'मानसिक क्षमता और परिणामों को समझने की क्षमता' के इस मूल्यांकन को किसी भी तरह से एक औपचारिक और*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नियमित कार्य की स्थिति में नहीं रखा जा सकता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया, जिस पर कानून के साथ संघर्शरत बच्चे का भाग्य अनिश्चित रूप से टिका हुआ है, सावधानीपूर्वक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किए बिना नहीं लिया जाना चाहिए।

77. यह निर्वचन का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि जब किसी विधान में "हो सकता है" शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसका कोई निर्देशात्मक अर्थ नहीं होता। यदि किसी विशेष मामले में, समानता और न्याय के हित में न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि विधानमंडल का उद्देश्य वैधानिक कर्तव्य को व्यक्त करना है, तो "हो सकता है" शब्द का प्रयोग न्यायालय को इसे अनिवार्य रूप देने से नहीं रोकेगा। इस न्यायालय ने बचहन देवी बनाम नगर निगम, गोरखपुर में निम्न प्रकार से निर्णय दिया:

> *"18. यह अच्छी तरह से स्थापित किया गया है कि किसी वैधानिक प्रावधान में "हो सकता है" शब्द का उपयोग अपने आप में यह नहीं द ार्ता है कि प्रावधान प्रकृति में निदे ात्मक है। कुछ मामलों में, विधायिका "हो सकता है" शब्द का उपयोग शुद्ध पारंपरिक शिष्टाचार के रूप में कर सकती है और फिर भी एक अनिवार्य बल का इरादा रखती है। इसलिए, "हो सकता है" शब्द के कानूनी महत्व की व्याख्या करने के लिए, न्यायालय को विभिन्न कारकों पर विचार करना होगा, अर्थात अधिनियम का उद्देश्य और योजना, संदर्भ और पृष्ठभूमि जिसके विरूद्ध शब्दों का उपयोग किया गया है, इस शब्द के उपयोग से प्राप्त होने वाले उद्देश्य और लाभ, और इसी तरह। यह समान रूप स्थापित है कि जहां "हो सकता है" शब्द में एक दायित्व के साथ विवेक भाामिल है या जहां यह उपयोगिता अधिनियम में विषयों के एक सामान्य वर्ग को सकारात्मक लाभ प्रदान करता है, या जहां न्यायालय एक उपाय को आगे बढ़ाता है और रिश्टि को दबाता है, या जहां भाब्दों को निदे ात्मक महत्व देने से अधिनियम का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा, "हो सकता है" शब्द की व्याख्या एक अनिवार्य बल को व्यक्त करने के लिए की जानी चाहिए। एक सामान्य नियम के रूप में भाब्द "हो सकता है" विवेक प्रदान करने के लिए अनुमेय और क्रिया ील है और वि ेश रूप से, जहां इसका उपयोग "करेगा" भाब्द के साथ किया जाता है, जो आमतौर पर अनिवार्य होता है क्योंकि यह एक कर्तव्य को लागू करता है। हालाँकि, ऐसे मामले भी है जहाँ "हो सकता है", "करेगा" और "अव य" शब्दों का परस्पर उपयोग किया जाता है। यह पता लगाने के लिए कि क्या इन शब्दों का उपयोग निदे ात्मक में या अनिवार्य अर्थ में किया जा रहा है, प्रासंगिक*

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

परिस्थितियों के साथ–साथ विधायिका की मं ा पर भी गौर किया जाना चाहिए।"

79. इसलिए, अधिनियम, 2015 के उद्देश्य और इसके विधायी इरादे को देखते हुए, विशेष रूप से बच्चे के सर्वोत्तम हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, धारा 15(1) के प्रावधान में "ले सकेगा" की अभिव्यक्ति और अनुभवी मनोवैज्ञानिकों या मनोसामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों की सहायता लेने की आवश्यकता अनिवार्य रूप से संचालित होगी जब तक कि बोर्ड में कम से कम एक सदस्य ामिल न हो जो बाल मनोविज्ञान या बाल मनोचिकित्सा में डिग्री के साथ एक अभ्यास करने वाला पेशेवर हो। इसके अलावा, यदि बोर्ड, कम से कम एक सदस्य के साथ अपनी स्वयं की संरचना को देखते हुए, जो बाल मनोविज्ञान या बाल मनोचिकित्सा में डिग्री के साथ एक अभ्यास करने वाला पेशेवर है, ऐसी सहायता नहीं लेने का विकल्प चुनता है, तो वह इसके लिए विशिष्ट कारणों को दर्ज करेगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

15. इस प्रकार, विद्वान बालक न्यायालय द्वारा कानून का उल्लंघन करते हुए बच्चे द्वारा किए गए अपराध के परिणाम को समझने के संबंध में निष्कर्ष को खारिज करके, मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट की सत्यता पर सवाल उठाकर, मानसिक क्षमता का आकलन करके और मामले को जेजेबी द्वारा 2015 की धारा 18(3) के अनुसार निर्णय के लिए विद्वान जेजेबी को भेजने हेतु विद्वान बालक न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष अनियमितता या अवैधता से ग्रसित नही है, जिसके लिए हस्तक्षेप की आव यकता हो लेकिन बालक न्यायालय ने जेजेबी को निमहंस द्वारा तैयार नियमों और दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद नए सिरे से प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश पारित करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ मामले को वापस न भेजने में अवैधता की है, जो विकृति, अवैधता से ग्रस्त है जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आव यकता है, इस प्रकार, बालक न्यायालय द्वारा पारित आदेश जिसमें उसने जेजेबी को नया मूल्यांकन आदेश पारित किए बिना 2015 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कानून का उल्लंघन करते हुए बच्चे के खिलाफ आगे बढ़ने का निर्देश दिया है, को खारिज किया जाता है और मामले को आगे की जांच के लिए **बरुन** (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित नियमों और कानून के अनुसार प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश पारित करने की प्रक्रिया को सख्ती से आगे बढ़ाने हेतु जेजेबी को वापस भेजा जाता है।

16. जहां तक **2024 एससीसी ऑनलाइन 798** में रिपोर्ट किए गए **कानून से संघर्शरत बालक बनाम कर्नाटक राज्य** के मामले में आवेदक द्वारा संदर्भित निर्णय का संबंध है, उसमें भी यह निर्धारित किया गया है कि अपीलीय प्राधिकारी, जिनकी सहायता न्यायालय द्वारा प्राप्त की गई है, के अलावा, अनुभवी मनोवैज्ञानिक और चिकित्सा विशेषज्ञ की सहायता प्राप्त करके इस मुद्दे की जांच करने का हकदार है, इसलिए स्वतंत्र जांच की परिकल्पना की गई है और यह विवाद का विषय नहीं है कि उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, लेकिन चूंकि यह न्यायालय पहले ही मामले को

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **बरुन (सुप्रा)** के मामले में निर्धारित कानून के अनुसार कड़ाई से पुनर्विचार के लिए विद्वान जेजेबी को भेज चुका है, इसलिए आवेदक द्वारा पुनरीक्षण में प्रार्थना के अनुसार कार्य करने के लिए विद्वान बालक न्यायालय को कोई निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप, जेजेबी द्वारा पारित दिनांक 11.07.2023 का प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश और आपराधिक अपील संख्या 74/2023 में बालक न्यायालय द्वारा दिनांक 23.08.2023 को पारित आदेश अपास्त किया जाता है और मामले को आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 8 सप्ताह के भीतर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार प्रारंभिक मूल्यांकन के संबंध में नए सिरे से आदेश पारित करने के लिए जेजेबी को वापस भेजा जाता है।

17. उपर्युक्त अवलोकन और निर्देश के साथ, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण का निपटारा किया जाता है।

एसडी/–
(नरेन्द्र कुमार व्यास)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur